

64/24

08/8/2024 वकील वादी अनुपस्थित/ अपात्रता  
 अपात्रता की समाप्ति तक प्रत्येक 2 महीने  
 में तीन बार वकील जमा वादी को अपात्र  
 किये जाते हैं। अपात्रता वकील वादी को  
 उपस्थित नहीं होने के कारण वादी  
 को वाद अथवा पैसी व अन्य शर्तों  
 में रक्षित किया जाता है।

प्रत्येक महीने कमाल होने वाली  
 धारा 10

8/8  
 सहायक कलेक्टर  
 (S.D.G.) बालोतरा

